संख्या- 11/2015/369 ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांकः 17 मार्च, 2015

विषयः- आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 2495/एक- 16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 03 नवम्बर, 2014 तथा पत्र संख्या-सी 3713/एक-16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 02 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में निष्प्रयोज्य वाहन (एम्बेस्डर कार) संख्या- यू.पी. 32 क्यू 4356 और यू.पी. 70-के-7777 के स्थान पर 02 एम्बेस्डर कार तथा 12 बोलेरो क्रय किये जाने हेतु आबकारी अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 383 ई-1/तेरह-2014-127(6)/2004 दिनांक 24.03.2014 द्वारा रू0 77,79,320/- की धनराशि स्वीकृत की गई थी। एम्बेस्डर कार का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण 02 एम्बेस्डर कार का क्रय नहीं किया जा सका तथा 02 एम्बेस्डर कार हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 11,91,784/- राजकोष में जमा कर दी गयी है। अत: श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए 02 अम्बेस्डर कार, जिनकी वाहन संख्या क्रमश: यू0पी0 32 क्यू-4356, एवं यू0पी0 70 के-7777 के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप प्रति मारूति सुजुकी जेड.एक्स.आई. पेट्रोल माडल का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट समस्त चार्जेज सहित रू0 6,38,813/- की दर से 02 मारूति सुजुकी डिजायर जेड.एक्स.आई.(पेट्रोल) माडल को डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 12,67,626/- (रूपये बारह लाख सरसठ हजार छह सौ छब्बीस मात्र) को व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. उक्त वाहनों का क्रय समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जायगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता तथा दर की वैधता सुनिश्चित् कर ली जायेगी। यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया

http://shasanadesh.up.nic.in

वाहन न क्रय किया गया हो। किसी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

4. उक्त वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-01-लेखाशीर्ष-"2039 राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधीक्षण-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-101(1)/दस-2015 दिनांक 16 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2015/369 (1) ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. बजट पत्रावली, आबकारी अनुभाग-1
7. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।